

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
सिविल इंजीनियरी प्रभाग

ट्राम्बे,
मुंबई-400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं: बीएआरसी/सीईडी/ईटी/28/2024-2025 दिनांक 18/10/2024

I. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'- वित्तीय बोली) में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

i)	कार्य का नाम	: ओल्ड अप्सरा, साउथसाइट, बीएआरसी, ट्राम्बे, मुंबई में एल्युमीनियम खिड़कियां, आंतरिक पेंटिंग, डिसमेंटलिंग फ्लोरिंग और विविध कार्य प्रदान करना।
ii)	कार्यस्थल / पिन कोड	: साउथसाइट, BARC, ट्राम्बे, मुंबई।
iii)	कार्य / उत्पाद श्रेणी	: कार्य
iv)	आमंत्रित अधिकारी	: मुख्य अभियंता
v)	आमंत्रित अधिकारी का पता	: सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई-400 085
vi)	अनुमानित लागत (जीएसटी के बिना)	: ₹ 37,61,000/-
vii)	बयाना राशि	: ₹ 88,760/-
viii)	निविदा दस्तावेज की लागत	: शून्य
ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	: शून्य
x)	कार्य की अवधि	: 240 (दो सौ चालीस) मानसून अवधि सहित कैलेंडर दिन
xi)	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए प्रारंभ/अंतिम तारीख तथा समय	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक 23.10.2024 (17.:00)

		बजे)सेदिनांक18.11.2024 (15:00 बजे)तक।विस्तृतएनआईटीकेवलदेखनेकेलिएबसाइट www.भापअकेन्द्र.gov.in या https://e-procure.gov.in/cppp/relatedlinks/ भापअकेन्द्रपरजाएं।
(xii)	स्पष्टीकरणकी प्रारंभ तारीख तथा समय	: -
(xiii)	स्पष्टीकरणकी अंतिम तारीख तथा समय	: -
(xiv)	साइटयात्रा की तारीख तथा समय	: -
(xv)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख तथासमय	: -
(xvi)	बोली-पूर्वबैठककापता	: -
(xvii)	बोलीप्रस्तुतकरनेकीप्रारंभतारीखतथासमय	: 25.10.2024 (11:00 बजे)
(xviii)	बोलीप्रस्तुतकरनेकीअंतिमतारीखतथासमय	: 18.11.2024 (15:00 बजे)
(xix)	बयाना राशि, जमा तारीख, समयतथाभेजने का पता।	: 20.11.2024 (15:00 बजे) कोयाइससेपूर्वमात्राअनुभागकार्यालयमें, कमरानंबर 203 , पहलीमंजिल, सीईडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई 400085 यानॉर्थगेटएग्जिटपोर्टल (संपर्कनंबर 022 2559 3119) केग्राउंडफ्लोर (सीढ़ीकेपास) मेंसीईडीकार्यालयमेंरखेड्रॉपबॉक्समें) एकसीलबंदलिफाफेमेंमुख्य, मात्राअनुभाग, सीईडी, कार्यकानामऔरएनआईटीसंख्याकाउल्लेखकर तेहुएसंबोधितकरतेहुएलिफाफेमें।मूलदस्तावेजों कोवरीयत: व्यक्तिगतरूपसेप्रस्तुतकरें।तथापि , डाकअथवाकूरियरद्वाराभेजेगएदस्तावेजोंपरभी विचारकियाजाएगाबशर्तेदिवेनिर्धारिततारीखएवं समयसेपहलेप्राप्तहोजातेहैं।
(xx)	बोली खोलने का समय/ ऑनलाइन भाग क खोलने की तारीख एवं समय	: 22.11.2024 (15:30 बजे)।
(xxi)	बोली खोलने का स्थान	: सिविलइंजीनियरिंगप्रभाग, भाभापरमाणुअनुसंधानकेंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई- 400 085
(xxii)	निविदाकर्ता वर्ग	: निविदादस्तावेजकेअनुसार
(xxiii)	योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग ख) खोलने की तिथि	: शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचेवेबसाइटपर बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा https://e-procure.gov.in/e-procure/app

xxiv	निविदा की वैधता (दिनों तक)	: 180(एकसौअस्सी)
------	----------------------------	------------------

II. आरंभिकपात्रता मानदंड:

- i) बोलीकर्ता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा बोली लगाने वाले को विषय निविदा में प्रस्तावित % स्थानीय सामग्री के लिए (निविदा दस्तावेज का परिशिष्ट - डी देखें) बोली के साथ अंडरटेकिंग भी जमा करनी होगी।
- ii) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोली पूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता खुद को 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोली पूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टांकनुसार ऐसे मामलों में वर्क्सके प्रापण के लिए मैनुअल -2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. बोलीकर्ता के पास निम्न लिखित होना चाहिए :

(क)

निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीय कृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम ₹17.75 लाख के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र।

(ख)

दिनांक 31 मार्च

2023

कोसमाप्त पिछले

3

वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम ₹44.38 लाख होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित होना चाहिए।

(ग)

31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (करके पश्चात् लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए। किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस पात्रता का प्रमाण माना जाएगा।

(घ)

सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है।

(च)

जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(छ)

स्थायी खातासं (पेन)।

3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक ₹17.75लाखके लागत के इसी प्रकार के 03 (तीन) कार्य या कम से कम ₹26.63लाखके लागत के इसी प्रकार के 02 (दो) कार्य या कम से कम ₹35.50लाखके लागत के इसी प्रकार का 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार /राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए हों तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए विवरण/अभिलेखों से समान कार्य के लिए ग्राहक से बोलीकर्ता को भुगतान की पुष्टि करें।

इसप्रयोजनहेतु

“कार्यकीलागत”

कातात्पर्यहैपूरेहुएकार्यकीसकललागतजिसमेंसरकार/क्लायंटद्वाराआपूर्तिकीगयीसामग्रियोंकीलागतशामिलहैं

लेकिनइसमेंनिःशुल्कआपूर्तिकीगयीसामग्रीशामिलनहींहोगी।इसीप्रकारकेकार्यकातात्पर्य **“किसीभीप्रकार कासिविलकार्य।”** समानकार्यभारतमेंनिष्पादितकियाहुआहोनाचाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।

5. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए।

III. सूचना :

6. निविदादस्तावेजदोभागोंमेंअर्थात्भाग 'क' निविदादस्तावेजदोभागोंमेंअर्थात्भाग 'क' (तकनीकीबोली) एवंभाग 'ख' (कीमतबोली) मेंतैयारकियागयाहै।भाग 'क' में : खंड I- सूचनाई-टेंडरआमंत्रित (अंग्रेजीऔरहिंदीसंस्करण)खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, केमार्गदर्शनकेलिएसमझौतेकेद्वितीयप्रपत्रऔरसामान्यनियमऔरनिर्देश, खंड III-अनुबंधकीसामान्यशर्तें, अतिरिक्तशर्तें, खंड IV-निविदाकारोंकेलिएविशेषनिर्देश, खंड V-तकनीकीविनिर्देश, खंड VI- निविदाचित्रकीसूची, खंड VII-अनुसूचीए (विभागद्वारापूर्तिकीजानेवालीसामग्रीकीअनुसूची), परिशिष्ट 'बी'- प्रदर्शनसुरक्षाकेलिएबीजीबॉन्डकारूप, परिशिष्ट 'C'- सुरक्षितअग्रिमकेलिएइंडेंट्योर (सिविलनिर्माणकार्यकेलिएलागू), परिशिष्ट 'डी'- वॉटरपुफिंगकार्योंकेलिएगारंटीबॉन्ड (सिविलकार्योंकेलिएलागू), परिशिष्ट 'ई' -दीमकविरोधीउपचारकेलिएगारंटीबॉन्ड (सिविलकार्योंकेलिएलागू), अनुलग्नक 'ए'- मानवशक्तिऔरमशीनरीकाविवरण, निविदादस्तावेजोंकेसभीशुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माणसामग्रीकेअनुमोदितनिर्माताकीसूची (सिविलकार्योंकेलिएलागू) औरअनुसूचियों 'ए' से 'एफ'

मात्राओंकीअनुसूचीशामिलहै।सफलबोलीकर्ताकोकार्यसौंपेजानेकेबादउपरोक्तसभीदस्तावेजअनुबंधकाहिस्साहोंगे।सफलबोलीकर्ताकोकार्यसौंपेजानेकेबादउपरोक्तसभीदस्तावेजअनुबंधकाहिस्साहोंगे।

निविदा दस्तावेजों www.barc.gov.in की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्याजन उक्तु दस्तावेजों को वेबसाइट Tenders and NITs Other Information से निःशुल्का देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते। को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज ही मिल सकता है।

IV. सीपीपी वेबसाइट में ई निवेदा के लिए दिशा निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए , संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध **Calss III** डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने , आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं। सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है [:https://eprocure.gov.in/eprocure/app](https://eprocure.gov.in/eprocure/app)

7. पंजीकरण:

- बोलीकर्ताओंकोसीपीपीपोर्टलपर "ऑनलाइनबोलीकर्तानामांकन" लिंकपरक्लिककरकेकेंद्रीयसार्वजनिकप्रापणपोर्टल (यूआरएल:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) केई-प्रोक्योरमेंटमॉड्यूलपरनामांकनकरनाआवश्यकहै।पोर्टलजोनिःशुल्कहै ।
- नामांकनप्रक्रियाकेभागकेरूपमें, बोलीकर्ताओंकोएकविशिष्टउपयोगकर्तानामचुननाहोगाऔरउनकेखातोंकेलिएएकपासवर्डअसाइनकरें ।
- बोलीकर्ताओंकोसलाहदीजातीहैकिवेपंजीकरणप्रक्रियाकेहिस्सेकेरूपमेंअपनावैधईमेलपताऔरमोबाइलनंबर पंजीकृतकरें।इनकाउपयोगसीपीपीपोर्टलसेकिसीभीसंचारकेलिएकियाजाएगा।
- नामांकनकेबाद, बोलीकर्ताओंकोअपनेप्रोफाइलकेसाथसीसीएंडिडिया (जैसेसिफी / एनकोड / ईमुद्राआदि) द्वारामान्यताप्राप्तकिसीभीप्रमाणनप्राधिकरणद्वाराजारीअपनेवैधडिजिटलहस्ताक्षरप्रमाणपत्र (हस्ताक्षरकुंजीउपयोगकेसाथतृतीयश्रेणीकेप्रमाणपत्र) कोपंजीकृतकरनेकीआवश्यकताहोगी ।
- एकबोलीदाताद्वाराकेवलएकवैधडीएससीपंजीकृतकियाजानाचाहिए।कृपयाध्यानदेकिबोलीकर्तायहसुनिश्चितकरनेकेलिएजिम्मेदारहैंकिवेअपनेडीएससीकोदूसरोंकोउधारनहींदेतेहैंजिससेदुरुपयोगहोसकताहै ।
- बोलीकर्तावेबसाइटपरसुरक्षितलॉग-इनकेमाध्यमसेअपनायूजरआईडी/पासवर्डऔरडीएससी/ई-टोकनकापासवर्डदर्जकरकेलॉगइनकरताहै ।

8. निविदादस्तावेजोंकीखोज:

- विविधमानककेअनुसारसेसयनिविदाकीखोजमेंबोलीकर्ताकीसहायताकेलिएसीपीपीपोर्टलमेंखोजकेकईविकल्पउपलब्धकरवाएगएहैं।इनमानकमेंनिविदाआईडी , संगठनकानाम, स्थान, तारीख,

मूल्य इत्यादी शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तारीख अन्य की - वर्ड इत्यादी को लते हुए सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।

- ii. जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुची है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज निविदा समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदा को संबंधित **'My Tenders'** नामक फोल्डर में संचित किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज में शुद्धी पत्र जारी किए जाने की स्थिति में सीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।
- iii. बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनिट निविदा आईडी को नोट कर लेता कि हेल्प डेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।

9. बोलियों की तैयारी :

- i. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रकाशित शुद्धी पत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।
- ii. कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज का नाम एवं विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें। उक्त बिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा / दस्तावेज/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- iii. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज/समय सारणी में यथावर्णित, प्रस्तुत किए जाने वाले निविदा दस्तावेज पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यतः ये दस्तावेज **PDF / XLS / RAR / DWF/JPG** फॉर्मेट में हो सकते हैं। बोली निविदा दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित **100 dpi** के साथ स्कैन कर लिए जाएं ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके।
- iv. प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगने वाले समय एवं मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र इत्यादी) को एक बार ही अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ता के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीकर्ता उन्हें उपलब्ध कराए गए **"My Space"** या **"Other Important Documents"** जैसे एरिया का उपयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे **"MySpace"** एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रक्रिया में कम समय लगेगा।

टिप्पलणी : **My Documents** यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ता को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने **“My Documents”** स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चित नहीं हो जाती कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके हैं।

10. बोलियों की प्रस्तुति :

- i. बोलियां सीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- ii. बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात् निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सकें। अन्य कारण से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।
- iii. निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- iv. यथा लागू निविदा शुल्क प/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में “ऑफलाइन” का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा।
- v. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा / कुरियर से / व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्धी विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. एजेन्सी को, कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना होगा और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) को उन्हें निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व - बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- vii. बोलीकर्ता कृपया ध्यान दें कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करतथा आवश्यक कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज सहित मानक **BOQ** प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को **BOQ** फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानो (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात्, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज अपलोड कर लेता कि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्र

कारकेजटिलताकीस्थितिसेबचाजासके।दस्तावेजअपलोडकरनेकेदौरानकिसीभीप्रकारकीकठिनाइयोंजिसमेंसर्वरएवंतकनीकीसमस्याएंभीशामिलहै, केलिएभापअकेंद्रकिसीभीहालमेंजिम्मेदारनहींहोगा।

- ix. बोलीकर्ताओंद्वाराबोलियांजमाकरने,
बोलियांखोलनेआदिकीसमयसीमाकोसंदर्भितकरनेकेलिएसर्वरसमय
(जोबोलीकर्ताओंकेडैशबोर्डपरप्रदर्शितहोताहै)
मानकसमयमानाजाएगा।बोलीकर्ताओंकोबोलीजमाकरनेकेदौरान समयकापालनकरनाचाहिए।
- x. नियततारीखएवंसमय (समय-विस्तारसहित)
केपश्चातनिविदादस्तावेजकोप्रस्तुतकरनेकीअनुमतीनहींहै।
- xi. डेटाकीगोपनीयतासुनिश्चितकरनेकेलिएबोलीकर्ताओंद्वाराप्रस्तुतकिएजारहेसभीदस्तावेजोंकोपीकेआईए
एन्क्रिप्शनतकनीककाउपयोगकरकेएन्क्रिप्टकियाजाएगा।दर्जकिएगएडेटाकोअनधिकृतव्यक्तियोंद्वाराबोलीखु
लनेकेसमयतकनहींदेखाजासकताहै।सुरक्षितसॉफ्टवेयर 128
बिटएन्क्रिप्शनतकनीककाउपयोगकरकेबोलियोंकीगोपनीयताबनाएरखीजातीहै।संवेदनशीलक्षेत्रोंकाडेटा
भंडारणएन्क्रिप्शनकियाजाताहै।कोईभीबोलीदस्तावेजजोसर्वरपरअपलोडकियाजाताहै,
सिस्टमद्वाराउत्पन्नसममितकुंजीकाउपयोगकरकेसममितएन्क्रिप्शनकेअधीनहोताहै।इसकेअलावायहकुंजी
खरीदारों/बोलीखोलनेवालेकीसार्वजनिककुंजीकाउपयोगकरकेअसममितएन्क्रिप्शनकेअधीनहै।कुलमिला
कर,
अपलोडकिएगएनिविदादस्तावेजअधिकृतबोलीखोलनेवालोंद्वारानिविदाखोलनेकेबादहीपढ़नेयोग्यहोजा
तेहैं।
- xii. अपलोडकिएगएनिविदादस्तावेजअधिकृतबोलीखोलनेवालोंद्वारानिविदाखोलनेकेबादहीपढ़नेयोग्यहोजा
तेहैं।
- xiii. बोलियोंकोसमयपरसफलतापूर्वकअपलोडकरनेपर (अथार्तपोर्टलमें "Freeze Bid
Submission" क्लिककरनेकेपश्चात)
पोर्टलपरसफलबोलीप्रस्तुतिकासंदेशप्रदर्शितहोगातथाबोलीसंख्यातथाबोलीप्रस्तुतिकीनियततारीखएवंस
मयएवंअन्यसंगविवरणसहितबोलीसारांशप्रदर्शितहोगा।
- xiv. बोलीसारांशमुद्रितकियाजानाचाहिएऔरबोलीप्रस्तुतकरनेकीपावतीकेरूपमेंरखाजानाचाहिए।इसपावती
काउपयोगकिसीभीबोलीखोलनेकीबैठककेलिएप्रवेशपासकेरूपमेंकियाजासकताहै।
- xv. इच्छुकबोलीकर्ताकोयहसलाहदीजातीहैकिवेबोलीप्रस्तुतिकेअंतिमतारीखतकइसवेबसाइटदकोनियमितरूप
सेदेखेता किवे,
शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधनद्वारावेबसाइटकेमाध्यमसेनिवदामेकिएगएपरिवर्तन/आशोधनसंबंधीजानका
रीकेबारेमेंअध्ययितरहे।
- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं /सामग्री की तकनीकी विनिर्देश , बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और
निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव
देती हैं। तथापि ,बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन
वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे सकते हैं , इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए
तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष और न्यायसंगत
प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए , बोली जमा
करने से पहले बोली -पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक /ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए
तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली -पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज में

विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात्, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तीरदायी होगा। मदों/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन /प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. बोलीकर्ताओं को सहायता:

1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपीपोर्टल से संबंधित प्रश्नों को **24x7** सीपीपीपोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

शर्तें :

12. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात् , निविदा आमंत्रण प्राधिकारी एक निरीक्षण दल गठित कर सकते हैं जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके-
 - a) वित्तीय क्षमता यानी बैंक सॉल्वेंसी ।
 - b) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
 - c) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।
 - d) समान कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
 - e) बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।
 - f) निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट डी के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज "यदि कोई हो"।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई -मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

13. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा ।

- ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।
- बी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
- सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।
- डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
- ई) समय एवं गुणवत्ताय सजगता ।

एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।

जी) स्थाल नियोजन क्षमता ।

एच) कार्य को बैक टू बैक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति ।

14. भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्यशुरू करने से पहले भाषा केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

15. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी

16. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

17. भाषा केंद्र/पञ्च की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:

(i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भाषा केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है, तो भाषा केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं किया जाता है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त जब्त कर ली जाएगी।

(ii) यदि भाषा केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार बोलीकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0] और/या कार्यों की प्रापण मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022] के अंतर्गत; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की प्रापण के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [https://doe.gov.in/divisions/manual purchase-consultancy-other-services] का उल्लंघन किया है तो बोलीकर्ता/ठेकेदार को भाषा केंद्र/पञ्च में किसी भी प्रापण /निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस संबंध में भाषा केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा ।

(iii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्न प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भाषा केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेंगे कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।

18. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी।
19. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से () दिनों तक वैध रखा जाएगा।
20. यदि बयाना राशि के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।
21. बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी , भापअ केंद्र , मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक , भापअ केंद्र , ट्रांबे, शाखा आईएफएससी:SBIN001268के नाम से जारी किए गए आवधिक जमा रसीद /डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा रु.20.00 लाख, जो भी कम हो, उक्त निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्टकए के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्त क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्या लिखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल ईएमडी तथा निविदा स्वीकृति दस्तावेज वरीयत व्यंक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें गेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि डाक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा।
22. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे **BARC** द्वारा स्वीकृति पत्र (**LOA**) जारी किया जाएगा। **LOA** प्राप्त होने के बाद , बोलीकर्ता को निविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और **BARC** द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद , बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर **EIC** द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया /वापस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी **BARC** द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद , जो भी पहले हो , वापस कर दी जाएगी /लौटाई जाएगी। एल 2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडी **BARC** के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी

बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी CPPP में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

23. बोलीकर्ता को अपने संविदाकी उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी ,
ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (टाईप्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के
चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5% की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब
तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% हो जाए।
प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों
के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इन्हें लेखा अधिकारी , भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया
जाएगा।
24. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत
करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के,
उक्त बयाना राशिको पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रिया भी
कर सकते हैं।
25. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के
लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण
बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं , जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों
अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
26. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है , जो ठेकेदार सिफारिश करेगा
उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
27. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को
दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे।
28. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है
एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
29. i. (जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा कर केंद्र-, राज्य और अंतरराज्य-।
ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जी . एस. टी. रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त
करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित) पर लागू अन्य सभी कर , रॉयल्टी, लेवी या उपकर
शामिल होंगे।
iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी , इस
कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर , भापअ केंद्र द्वारा
प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार
की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर , बीमा व्यय,

प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

- iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।
- v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटी पर **2%** टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्य के **@1%** की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा
- vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे।
- vii) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथानियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों /कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।
ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में इपीएफ अधिनियम, **1952** के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।
- viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्यक ~~व~~सुपकर की कटौती, ठेकेदार को समय- समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।

30. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की **50%** (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके अतिरिक्त निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

31. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा।
32. जिन सफल निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्च पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यादपन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए। पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युपक्तियां / अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्ता कार्रवाई के फलस्वरूप

परिस्थितियों के तहत किसी नुस्खा/न /दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा। डीई/बीएआरसी द्वारा समय-समय पर पडवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पारदन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेश:

33. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
34. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सेल/वर्ड फॉर्मेट) को प्रापणने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात् ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है।
35. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा। भाग 'क' खोलने के पश्चात् मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य /अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यता प्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोली कर्ताओं को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।
36. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर **BOQ_XXXX.xls** के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफर/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीकर्ता किसी भी तरीके से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
37. निविदा खोलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खोलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
38. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।

टिप्पणी

निविदाजमाकरनेसेपहलेसभीएनआईटीमानदंडोंकोपूराकरनेकेलिएसंभावितएजेंसियोंकोखुदकोसंतुष्ट करनाहोगा।निर्धारितमानदंडोंकोपूरानकरनेवालीएजेंसियोंकीनिविदापरविचारनकरनेकाअधिकारविभागके पाससुरक्षितहै।

39. योग्यस्रोतदेश:

भारतकेसाथभूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशकेकिसीभीबोलीकर्ताकोसार्वजनिकप्रापणविभाग, व्ययविभाग, वित्तमंत्रालय, सरकारद्वाराजारीआदेश (सार्वजनिकप्रापणसंख्या 1) औरआदेश (सार्वजनिकप्रापणसंख्या 2) कापालनकरनाहोगा।भारतएफ.सं. 6/18/2019-पीपीडीदिनांक 23.07.2020 औरसमय-समयपरइसकेपरिशिष्टकेतहत।साथही, बोलीकर्ताकोनिविदादस्तावेजके 'परिशिष्ट-एफ'

मेंदिगाएप्रोफामकिअनुसारएकप्रमाणपत्रप्रदानकरनाहोगा।यदिइसतरहकीघोषणायाप्रमाणपत्रबोलीजमा करनेकेसमययाअनुबंधप्रदानकरनेकेबादकिसीभीसमयगलतयागलतपायाजाताहै,

तोउक्तअनुबंधकोसमाप्तकरदियाजाएगा,

साथहीऐसीअन्यकार्रवाइयोंकेसाथजोभारतकेप्रासंगिककानूनकेतहतअनुमेयहोसकतीहैं।

40. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्रापण नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।

41. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-

I) पेशेवरचार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए काविशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो ।

II) पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वाराप्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए कावैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।

III) नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

IV) निर्माणसंयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।

V) तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।

VI) प्रमाणपत्र:

1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो ।
2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र ।
3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र ।
4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।

VII) बोलीकर्ताकिलेटरहेडपरवचनदेनाकि

"पात्रसमानकार्यकिसीअन्यठेकेदारकेमाध्यमसेबैकटूबैकआधारपरनिष्पादितनहींकिएगएहैं।

- VIII) बोलीकर्ता को भागएकेखंड II औरखंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार वचनबद्धता ।
- IX) पिछलेसातवर्षोंमेंपूर्णकिएगएसमानकार्योंकीसूचीजिसमें i) एजेंसीजिसके लिएनिष्पादितकियागयाहै, ii) कार्यकामूल्य, iii) निर्धारितऔरपूराहोनेकावास्तविकसमय, iv) ग्राहकोंसेयोग्यसमानकार्योंकाप्रदर्शनप्रमाणपत्र।
- X) चालू कार्यों की सूची दर्शातीहै: i) एजेंसी ii) कार्यकामूल्य, iii) पूराहोनेकानिर्धारितसमय / वर्तमानस्थिति।
- XI) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4 (अंग्रेजी एनआईटी में दर्शाएनुसार)
- XII) किसी भी क्ला/इंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्नऔकोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित /काली सूची में डाले गए/समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है , तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ताइस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंनेऐसकोई प्रतिकूल कार्यनहीं कियाहै।
- XIII) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकनकेदौरानलापतादस्तावेज, यदिकोईहो, निरीक्षणसमिति द्वाराप्रस्तुतकरनेकेलिएकहाजासकताहै।

42. बोलीकर्ताकोनिम्नलिखितभरनाआवश्यकहै:

- क) तकनीकीबोली
ख) मानवशक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार)
ग) अनुसूची - 'बी' (वित्तीयबोली)

43. ई-बैंक गारंटी (ई-बी.जी.) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

टिप्पणियाँ:

1. इच्छुकएजेंसियां पंजीकरणऔरबोलीजमाकरनेकेलिएवेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जासकतीहैं।
 2. निविदादस्तावेजोंसेसंबंधितसहायता/स्पष्टीकरणकेलिएसंपर्ककरें-
 3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
 - 2.1) २४x७ सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787
 - 2.2)लोकल हेल्पडेस्क-श्री.भूषण/श्री.मयूर02225487480
 - 2.3) email at support-eproc@nic.in
 - 4.बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी ले जाना है), फर्म का पता।
 - 5.साइटविज़िटके लिएअनुरोधभेजनेके लिएईमेलआईडी
सेवामें: arun@barc.gov.in,nidisha@barc.gov.in
प्रतिलिपि:davac@barc.gov.in,mpradhan@barc.gov.in, kkaval@barc.gov.in
- b) सहायता/स्पष्टीकरणकेलिएसंपर्क: (022)-
25593065/25593067/25593064/25594868/25591918. Fax: (022)25505310

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए ।

मुख्यअभियंता,
सिविलइंजीनियरीप्रभाग,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

अनुलग्न क-1

निविदा सवीकृति पत्र
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा।)

दिनांक :

प्रति,
मुख्यअभियंता,
सिविलइंजीनियरीप्रभाग,
भापअकेंद्र, ट्रांबे,

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।

निविदा संदर्भ सं. बीएआरसी/ सीईडी/ईटी/ 2024-2025 दिनांक: 2024

निविदा/ कार्य का नाम : -

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और www.barc.gov.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।
2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने भापअ केंद्र की वेबसाइट <http://barc.gov.in/tenders/> पर अन्य सूचना आदि खंड के तहत उपलब्ध निविदा दस्तावेजों (एएंडसीईडी निविदा दस्तावेज , अनुलग्न_क/अनुलग्नकों, अनुसूची/ अनुसूचियों, शुद्धिपत्र, नागरिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश, निर्माण कार्यसंविदा इत्यादि हेतु निर्माणकार्य संरक्षा नियमावली आदि सहित) के संपूर्ण निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है।), जो संविदा करार का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित निबंधनों/शर्तों/खंडों कापालन करूंगा/ करेंगे।
3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र /शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज /दस्तावेजों/ शुद्धिपत्र /शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूँ /करते हैं।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्ते जानकारी सत्यक एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित अन्य किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीभकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक 2

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबीके अनुसार वचन देना
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं,

[नाम],

व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से

[इकाईकानाम] पैस _____ केसाथ, आयअधिनियम, 1961

केप्रासंगिकप्रावधानोंकेतहतहतावश्यककेरूपमेंनिम्नलिखितघोषणाकरताहूँ (इसकेबाद 'अधिनियम' केरूपमेंसंदर्भित):

1. किमैं/हमव्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशककेरूपमेंयहघोषणाकरनेकेलिएअधिकृतहूँ/हैं।
2. मैं/हमइसकेद्वाराघोषितऔरपुष्टिकरतेहैंकिमैं/हमआईटीअधिनियमकीधारा 206एबीमेंप्रदानकीगई 'निर्दिष्टव्यक्ति' कीपरिभाषाकेअंतर्गतनहींआतेहैं।
3. मैंने/हमनेआयकरअधिनियम, 1961 कीधारा 139(1) केअनुसारनियततारीखकेभीतरवित्तीयवर्ष 20-21 औरवित्तीयवर्ष 21-22 केलिएआयकीविवरणीविधिवतदाखिलकीहै - हां/नहीं (जोलागूनहोउसेकाटदें)
4. यदिरिटर्नभरागयाहैतोविवरणइसप्रकारहै:

मैं/हम, _____ जिनकेपासपैस _____ है,
एतद्वारापुष्टिकरताहूँकिधारा _____ 206

एबीकाप्रावधानमेरे/हमारेमामलेमेंलागूनहींहैक्योंकिमैं/हमआयकररिटर्नभरनेमेंनियमितहूँ/हैं।पावतीसंख्याऔरपिछलेदोवित्तीयवर्षोंकेलिएआयकररिटर्नभरनेकीतारीखकाविवरण (दस्तावेजोंकेप्रमाणकेसाथ) नीचेदियागयाहै:

क्र.सं.	वित्तीयवर्ष / (आकलनवर्ष)	फाइलकरनेकीतिथि	आयकररिटर्नआईटीआरपावतीसंख्या
1	2021-22 / (2022-23)		
2	2022-23 / (2023-24)		

5. मैं/हमउपरोक्तजानकारीकीगलतरिपोर्टिंगकेकारणउत्पन्नहोनेवालेकिसीभीकर, ब्याज, दंडआदिसहितकिसीभीहानि/दायित्वकेलिएपूरीतरहसेजिम्मेदारीलेतेहैं।
उपरोक्तसभीअभ्यावेदनसत्यऔरसहीहैं, औरहम/मैंइसकेसमर्थनमेंकिसीभीसमयआवश्यकसाक्ष्यप्रस्तुतकरनेकेलिएसहमतहूँ।

कीओरसे _____

<<अधिकृतहस्ताक्षरकर्ताकानाम>>

<<पदनाम>>

संस्थाकानाम:

अनुलग्नक-3

**फर्मों/एजेंसियोंद्वाराजीएसटीउपक्रम
(कंपनीकेलेटरहेडपरदियाजाए)**

निविदा/कार्यकानाम:

प्रियमहोदय,

1. किबोलीलगानेवालेजीएसटीकेतहतपंजीकृतहैंऔरजीएसटीप्रावधानोंकेअनुरूपहैं।
2. जीएसटीप्रावधानोंकाअनुपालननकरनेऔरकिसीभीइनपुटक्रेडिटमेंरुकावटकेमामलेमेंबोलीलगानेवाला BARC कोक्षतिपूर्तिदेनेकेलिएजिम्मेदारहोगा।
3. बोलीलगानेवालेद्वारासभीइनपुटक्रेडिटBARC कोदेदिएगएहैं।

जगह:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नकक4

बोलीदाताद्वारास्थानीयसामग्रीप्रमाणन
(कंपनीकेलेटरहेडपरदियाजाए)

निविदा/कार्यकानाम:

प्रियमहोदय,

बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्ना_नुसार वचनबद्ध है :

“हम_____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या _____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार 'श्रेणी I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हेतु अर्हक होने की अनिवार्य 'स्थानीय सामग्री (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत _____ % है। ”

बोलीलगानेवालेकेअधिकृतदिनांकितहस्ताक्षर

परिशिष्ट2-एफ
पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम) , भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं। मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने ने अपनी बोली के साथ उक्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा। मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लगा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर